REVIEW OF RESEARCH
IMPACT FACTOR : 5.7631(UIF) UGC APPROVED JOURNAL NO. 48514 ISSN: 2249-894X
VOLUME - 8 | ISSUE - 7 | APRIL - 2019

सामाजिक दूषणो पर बडे अंश पर नियंत्रण

डा. निलेशकुमार जी. वसावा
आसि.प्रोफसर,
सरकारी विनयन कोलेज वांकल, जी.सुरत.

❊ बाल लग्न :

२१वीं सदी में पाटण में बाल लग्न देखने को नहीं मिलता। आझादी के बाद बाल लग्न का प्रमाण घटता न होने के बावजूद उनके अनिष्कटो केबारे में एक नयी सभानता आयी थी। इस प्रथा के सामने झूंबेश उठाने की तत्परता भी आयी। इस रीवाज की विषम असर सुधारावादी समाज के दिखाने लगे। केलवणी में अंतराय, कजोडे लग्न, लडकीयों के आरोग्य पे हानिकारक असर, बाल वैधव्य और नाणाकीय बोज आदि की तरफ ध्यान दिया गया। बाल लग्न की चाल इतनी सब प्रचलित थी कि ज्यादातर अग्रणी भी खुद बहोत छोटी उंमर में शादी कर ली थी, उनकी पत्नीयाँ तो उनसे भी छोटी थी। ई.स.१९५५ में 'हिन्दु लग्न धारा' पसार होने के बावजूद कुछ ज्ञातियों के बारा साल से छोटी लडकीयों की शादी कर दी जाती थी। महेसाणा जिल्ला में १९९१ के आंकडे के हिसाब से १०-१४ साल की परणित लडकीयाँ ३९०, १५-१९ साल की लडकी ३१.१०% थी।

सामाजिक सुधारक मंडलोने अपनी ज्ञाति में इस अनिष्ट को दुर करने के लिये अनेक प्रयासो के अंत में सफलता प्राप्त की है।

❊ बाल हत्या :

आजादी पहले गुजरात की कुछ ज्ञातिओं में बच्चो को दूधपीती करने के रिवाज प्रचलित थे। वडोदरा राज्य अन्य राज्यों की तुलना में विकसीत राज्य था। सयाजीराव को समाज सुधारण प्रवृत्ति में ज्यादा रस था। उसकी असर पाटणनगर पर हुई यह स्वाभाविक है। आझादी के बाद सुधारावादी नागरिको ने बाल हत्या रोकने के लिये प्रयास किये थे। समय के चलते प्रमाण भी घट गया लेकिन विज्ञान और टेकनोलोजी के विकास का मीस युझ करने की वजह से मा के पेट में नर है या नारी जाति का परीक्षण कराकर जो स्त्री लिंग हो तो बच्ची के भृण का नाश किया जाता।

पाटण की बस्ती गणतरी के आंकडे में ०-६ साल की बस्ती देखा जाये तो साल १९९१ में ९०२, २००१ में घट कर ८६५ हुई यानि की ३७ का फरफार देखने को मिलता है। भारतीय दंड संहिता की कलम ३१२ में स्त्री गर्भपात गुनाह मानने में आया है।

उपरोक्त यह आंकडे देखकर गुजरात गवर्नमन्ट ने भृणहत्या के खिलाफ कायदा बनाया। आज भृण की तपास करना गुनाह माना गया है। आज पाटण में आरोग्य क्षेत्र, अद्यतन उच्च टेकनोलोजी आर अद्यतन सगवड होने के बावजूद कोई भी डॉक्टर भृण तपास करता नहीं।

❊ लाज प्रथा :

आझादी पहले और बाद लाज निकालने का रिवाज और पडदा प्रथा बहोत प्रचलित थी। इ.स.१९८१ तक यह प्रथा ज्यादा प्रमाण में देखने को मिलती थी। स्त्री के पति से बडी उंमर के सुसराल के सगे, पति के बडे भाई (जेठ) दूसरी ज्ञाति के सभ्य गृहस्थ आदि

का लाभ निकालनी पडती यानि की ज्यादातर बडे ज्ञाति की स्त्रीयाँ अपने सुसराल पक्ष के वडीलो की लाज निकालती। आज समय के साथ परिवर्तन आने से लाज प्रथा ज्यादातर हिन्दु ज्ञाति में देखने को नहीं मिलती लेकिन ग्राम्य संस्कृति में आज भी देखने को मिलती है।

❊ साटा प्रथा (साटां-पेटा) :

पाटण में चौधरी, पाटीदार, देसाइ आदि ज्ञातिओ में साटा पद्धति देखने को मिलती है। इस रिवाज का मूल कारण कन्या विक्रय है। कितनी बार वर के मा-बाप कन्या लाने के लिये पेसे दे शकते न होने के कारण पेसे के बदले में अपनी कन्या देने को पसंद करते लेकिन आज यह परंपरा बन गई है। साटा के बदले में साटुं देना पडता है। इस रीवाज के कारण अनेक मुश्किले खडी हुई है। साटा पद्धति आज भी पाटण की कुछ ज्ञातिओ में देखने को मिलती है।

❊ विधवा की समस्याएँ :

विधवा पुनः लग्न आज पाटण की तमाम ज्ञातिओ में देखने को मिलते है। आज भी एक पुत्र के बाद कुछ स्त्रीयाँ अपने पति के मृत्यु के बाद वैधव्य का पालन करते है लेकिन इस स्त्रीयों के साथ जिस प्रकार से समाज वर्ताव करता है वह खरेखर निंदनीय है। यह परंपरागत विचारसरणी कुछ लोगो के घरो में बन गई है। आज इस विचारसरणी में परिवर्तन देखने को मिलता है। देश आझाद हुआ उस अरसे में कुछ उच्च वर्ग में विधवा पुनः लग्न होते नहीं थे वह दूर करने के लिए अनेक प्रयास किये गये। विधवाओं के पुनः लग्न के अधिकार के लिये जिस मंच पर से हिमायत की गई थी वह जगह भी दूषित मानी जाती थी। ऐसी मानसिकता समाज के उच्च वर्ण में देखने को मिलती है।

विधवा के पति के मृत्यु के पांच-छ महिना कोने में रहना पडता, घर के एक कोने में बेठे रहने का और घर से बाहर नीकलने का नहीं यह रीवाज अभी तक देखने को मिलता था। विधवा स्त्री की हालत बहोत कठिन थी। उसको अपशुकनियाल माना जाता। उसका सर मूंडा जाता। कुछ रंग के ही और कुछ तरीके से ही कपडे पहनने पडते। घर मे बहोत काम करना पडता। कभी कभार जातिय शोषण का भोग बनना पडता। ऐसी हालत में ज्यादातर विधवाओ की जिंदगी अपमानीत होती और आत्महत्या का भोग बनती।

इस क्षेत्र में समाज सुधारको ने तीन तरह के प्रयास किये (१) विधवा - पुनः लग्न कायदेसर की स्वीकृति की समाज में वकीलात करके लोगो को समझाया (२) विधवा विवाह को प्रोत्साहन देना और (३) इसे लग्न करनेवालो की रुढिचुस्त उनको परेशान न करे यह देखना। शिक्षण के प्रभाव से हिन्दु समाज में विधवा पुनः लग्न होने लगे।

❊ अस्पृश्यता निवारण :

आझादी पूर्व अस्पृश्यता निवारण के लिये महात्मा गांधीने अनेक प्रयास किये। गांधीजो के मत अनुसार 'अस्पृश्या धर्म का अंग नहीं लेकिन हिन्दु धर्म में घुसा हुआ सडा है। उसका निवारण करना यह सभी हिन्दु का धर्म है। जिसके लिये अछूतो को उनका परंपरागत व्यवसाय छोड देने के लिये कहना योग्य नहीं या उनमें यह व्यवसाय प्रत्ये नापसंद या अरुची पेदा हा ऐसा करने की जरुरत नहीं। वणकर हो वह बूने, मोची हो वह चमडे का काम करे और भंगी हो वह पापखाना साफ करे और उसके बावजूद उनको अछूत समझने में न आये तभी सही अस्पृश्यता नाबूद हो ऐसा माना जाता है।

बाबा साहब आंबेडकर ने तो अस्पृश्यो को उनके अधिकार देने के लिये बहोत प्रयास किये है। भारतीय बंधारण में अस्पृश्यता भारतीय समाज का कलंक है। अस्पृश्यता एक गुना है उसके लिये दंड की जोगवाइ की गई है। भारतीय बंधारण ने नागरिको को कछ मूलभूत अधिकार दिये है। जिसमें बंधारण के भाग-३ में कलम १९ से १८ में समानता का अधिकार नागरिको को प्राप्त हुआ है। जिसके अंतर्गत कलम १७ अस्पृश्यता नाबूदी या छूत-अछूत के अंत की जोगवाइ की है।

सरकारी कल्याण योजनाओ में अस्पृश्यो को अनामत की जोगवाइ की गई है, फिर भी उनके समाज में ज्यादातर फरफार देखने को नहीं मिलता। कुछ शिक्षित हरिजन अन्य भद्र समाज के साथ मिल जाने के हेतु से अपने समाज के साथ व्यवहार काट देने से या ज्यादातर लोग दारु तथा जुगार जैसी बदीओ में फसे हुए थे। इ.स.१९५५ अस्पृश्यता निवारण धारा पास किये जाने के बावजूद उसके अमल में शिथिलता दखने को मिलती थी। उनके तरफ शोषण और क्रूर बर्ताव तथा दमन चालु रहा।

२०वीं सदी के आखरी दशके में और २१वीं सदी के पहले दशके में पाटण नगर में अस्पृश्यता के दर्शन होते नहीं यानी की अस्पृश्यता का निवारण ज्यादातर देखने को मिलता है।

❊ दूसरे अनिष्ट :

मरने के प्रसंग पर रोना, रझडना और ककडाट करने के साथ लग्न के बाद के गलत खर्च, वरघोडे के प्रदर्शन, पश्चिम की बहुदी नकल, नैतिक मूल्य का पतन, घर घर लोग पानमसाला का व्यसन करते है। उच्च वर्ग के लोग इंडे, मासाहार, दारु और जुगार के मोजशोख शिष्ट गिनने लगे। एक तरफ राज्य में दारुबंधी है तो दूसरी तरफ गेरकायदेसर दारु और लठ्ठा की बदी फाली फली प्राचीन संस्कृति विसरती गई और अर्वाचीन संस्कृति की बोलबाला बढी। नई पेढी जीवन के मूल्यो में सदाचार और स्वदेशाभिमान की मात्रा घटती गई। कलबो में उत्सव, मेले का प्रमाण बढता गया। लग्न प्रसंग में धार्मिक विधि का महत्व घटा और सत्कार समारंभ तथा भोजन समारंभ का महत्व बढा। भारतीय संस्कृति को भूलकर पश्चिमी संस्कृति का अनुकरण देखने को मिलता है।

❊ संदर्भ सूचि :

- (प्रा.) दवे मंजुलाबेन बी., ''गुजरात की आर्थिक और प्रादेशिक भूगोल'', युनिवर्सिटी ग्रंथ निर्माण बोर्ड, अहमदाबाद, २०१२, पृ.३४०
- (डॉ.) रावल चंद्रिकाबहन और (डा.) ध्रुव शेलजा, ''गुजरात में स्त्रीओं का दरज्जा', पार्श्व पब्लिकेशन, अहमदाबाद, २००८, पृ.६३
- मददनीश चेरीटी कमिशन-पाटण प्रदेश पाटण, 'ए-विभाग फाइल-सार्वजनिक ट्रस्ट का नाम, सरनामा और रजीस्ट्रेशन नंबर

डा. निलेशकुमार जी. वसावा
आसि.प्रोफसर, सरकारी विनयन कोलेज वांकल, जी.सुरत.